

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक-4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

Website - tribal.cg.gov.in

☎ - 2263708,

Fax - 2262558

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/सा.स्था.-05/181/2025-26 / 11201

नवा रायपुर, दिनांक 26/12/2025

--: आदेश :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सा.स्था.05/146/2024/9945 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 11.12.2024 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 को आयोजित की गई थी। समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 10.06.2025 द्वारा पदोन्नति आदेश जारी किया गया था।

समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन आदेश दिनांक 10.06.2025 द्वारा 485 कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश जारी किया गया था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचाराधीन अवधि में गोपनीय चरित्रावली का समग्र मुल्यांकन "अच्छा" नहीं होने से अनुपयुक्त किये गये कर्मचारियों में से स्तुति रामटेके, छात्रावास अधीक्षिका श्रेणी "द" द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के परीक्षणोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक/एफ 4-1/2014/1-3 दिनांक 03.06.2015 के द्वारा परिपत्र के बिन्दु क्रमांक-1.7 के दिये गए निर्देश के परिपालन में की गई अनुशंसा अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 एवं छ.ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में निहित प्रावधानों के आधार पर निम्नांकित छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द" को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (वेतन बैंड रुपये 5200-20200+2400 ग्रेड वेतन) से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स" पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (वेतन बैंड रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड वेतन) के पद पर उनके कनिष्ठों को दी गई पदोन्नति आदेश के ऊपर दिनांक 10.06.2025 से "कार्य नहीं वेतन नहीं" के आधार पर काल्पनिक वेतन निर्धारण करते हुये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देते हुये पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान
1	स्तुति रामटेके	प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, दमकसा, वि.खं.-दुर्गकोदल, जिला-कांकेर (छ.ग.)

- यह आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर रिट याचिका W.P. (PIL) No. 91/2019, S. Santosh Kumar Vs State of Chhattisgarh & another तथा W.P. (S) No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs State of Chhattisgarh & another में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा तथा मान. उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- समस्त पदोन्नत कर्मचारी, जो जिस स्थान पर पदस्थ किये गये हैं, वे उसी संस्था में कार्यभार ग्रहण करते हुये संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को सूचित करेंगे। नवीन पदस्थापना शासनादेश दिनांक 10.06.2025 के परिपालन में पृथक से की जावेगी।
- विभागीय जांच/निलंबन/न्यायालयीन प्रकरण/अपराधिक प्रकरण/अनाधिकृत अवकाश/परीक्षा अवधि समाप्त न होने/निधन/लापता होने वाले कर्मचारी का पदोन्नति आदेश में नाम शामिल होने पर उक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



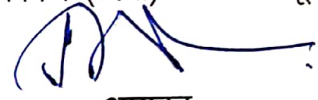
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

// 02 //

पृ.क्रमांक/सा.स्था.-05/181/2025-26/ 11262 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/12/2025
प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला-कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. स्तुति रामटेके, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द", प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, दमकसा, वि.खं.- दुर्गुकोंदल, जिला-कांकेर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।



आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)